न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

नाथू सिंह बनाम मोतीसिंह

धारा ... प्रक. 112/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.12.2023	पत्रावली पेश हुई । वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण ने प्रतिवादीगण की जरिये समाचार पत्र करवाई गयी तामील पर तामील आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया । प्रतिवादीगण की तामील पूर्व में रजिस्टर्ड डाक से एवं इसके बाद दैनिक समाचार में अखबार साया के माध्यम से तामील करवाई जा चुकी प्रतिवादीगण की ओर से आज तक कोई उपस्थित नही आया है । इसलिये प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है । पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी पत्रावली दिनांक 02.02.2024 को पेश हो ।	
02.02.2024	पत्रावली पेश हुई । वकील वादीगण उपस्थित। वादीगण ने साक्ष्य वादी में गवाहान पीडब्लु 1 स्वयं नाथू सिंह, पीडब्लु 2 कमल कंवर , पीडब्लु 3 बलवीर सिंह, पीडब्लु 4 रामसिंह के मुख्य परीक्षण के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये । शपथ पत्र शामिल पत्रावली किये गये। वकील वादीगण ने फर्द दस्तावेज सूची के साथ दस्तावेज पेश किये जो शामिल पत्रावली रहे । पत्रावली वास्ते बहस अंतिम हेतु दिनांक 05.02.2024 को पेश।	
05.0[illegible]	पत्रावली पेश हुई । वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । प्रकरण में वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किये जाने योंग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर वादपत्र डिक्री किया जाता है । प्रकरण में निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया । निर्णयानुसार पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।	

05/02/24

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.04.04 14:51:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
113 / 2022	2022 / 194	16.08.2022	05.02.2024

उनवान

1. नाथू सिंह पुत्र श्री शिम्भूसिंह उम्र 50 वर्ष
2. कमल कंवर पत्नि श्री शिम्भूसिंह उम्र 68 वर्ष समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।

वादीगण

बनाम

1. मोतीसिंह पुत्र श्री बचन सिंह
2. कालूसिंह पुत्र श्री रामकुंवार सिंह
3. जयसिंह पुत्र श्री भादरसिंह
4. बन्नेसिंह पुत्र श्री माधोसिंह
5. देवीसिंह पुत्र श्री नन्दसिंह
6. दीनसिंह पुत्र नाथूसिंह
7. भवनसिंह पुत्र श्री दानसिंह
   भगवानसिंह पुत्र श्री रामकुवारसिंह समस्त जाति राजपूत निवासी तन ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।
8. पटवारी ,पटवार हल्का दिवराला
9. उपतहसीलदार अजीतगढ
10. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.04.04 14:51:52 IST
Reason: SelfAttested

––प्रतिवादीगण––

उपस्थित : –

05/02/24

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

श्री विक्रम सिंह बांकावत एड0 वादीगण अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 10

वादपत्र बाबत उदघोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम)
——:: निर्णय ::——

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2148 रकबा 1.40है0 अवस्थित तन ग्राम दिवराला पटवार हल्का दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. है। जिस पर वादीगण वक्त बुजुर्गान के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है । उक्त वर्णित भूमियों की खातेदारी राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी हक अधिकार से गलत एवं गफलत व लापरवाही करते हुये प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 8 के नाम दर्ज कर दी गयी । जबकि उक्त भूमि पर सदैव वादीगण व इनके बुजुर्गान काबिज काश्तकार रहे है तथा वादीगण के बुजुर्गान की मृत्यु के पश्चात वादीगण अकेले ही सम्पूर्ण हिस्से की भूमि पर बहिस्सा बराबर पूर्णतया काबिज काश्त चले आ रहे है । इसी अनुसार वादीगण उक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम राजस्व रिकोर्ड में दुरस्त व दर्ज करवाने के विधिक अधिकारी है । उक्त भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम नही होने के कारण वादीगण सरकारी सहायता अनुदान , सुविधाओं आदि से महरूम हो रहे है तथा अपने कब्जे काश्त की भूमि का समुचित उपयोग उपभोग नही कर पा रहे । उक्त भूमि का राजस्व रिकोर्ड सहवन से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिया गया । जबकि पुरानी गिरदवारियों में भी वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। जबकि प्रतिवादीगण अथवा उनके बुजुर्गान का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.04.04 14:51:52 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
03/04/24
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

। प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम गलत रूप से दर्ज चली आ रही उक्त भूमि का राजस्व रिकोर्ड वादीगण अपने नाम दर्ज करवाने के विधिक अधिकारी है । उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादीगण लगातार वक्त बुजुर्गान के समय से ही काबिज का त चले आ रहे है । उक्त भूमि पर वादीगण व इनके बुजुर्गान के अलावा अन्य किसी का कोई कब्जा नही रहा है । बल्कि उक्त भूमि वादीगण व इनके बुजुर्गान के स्वामित्व नियन्त्रण अधिकार मे चली आ रही । जिस पर वर्तमान में वादीगण काबिज काश्त है एवं उक्त भूमि का वादीगण को काबिज खातेदार उदघोषित किया जाना न्यायहित में आव यक है । वादीगण ने समय समय पर उक्त भूमियों को अपनी स्वयं की मेहनत व लाखों रूपये लगाकर लगातार उन्नत एवं उपजाउ बनाया है । भूमियों को समतल करवाया है । वादीगण उक्त भूमियों पर वक्त बुजुर्गान के समय से काबिज होने के कारण उक्त भूमियों की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने के कानूनन अधिकारी है . लेकिन उक्त भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम नही होने के कारण वादीगण को सख्त हकतल्फी है । वादीगण सरकारी सहायता, ऋण अनुदान, किसान केडिट कार्ड वगैरह से वंचित हो रहे है एवं खातेदार काश्तकार को मिलले वाली सुविधाओं से भी वंचित हो रहे है तथा वादीगण के विधिक हक अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड रहा है । अगर गलत खातेदारी की आड में वादीगण को बेदखल कर दिया गया तो वादीगण बरबाद हो जावेगे । इसलिये प्रतिवादीगण की उक्त गलत, अवैध, विधि विरूद्व एवं मनमानी कार्यवाही को वादी जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के वादीगण विधिक अधिकारी है। इसलिये प्रतिवादीगण को उक्त बेजा एवं अवैध काम के लिये जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना न्याय में आवश्यक है । वादीगण ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2148 रकबा 1.40है0 अवस्थित तन ग्राम दिवराला पटवार हल्का दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.04.04 14:31:52 IST
Reason: SelfAttested

05/02/24

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

सीकर राज. का वादीगण को काबिज खातेदार उदघोषित फरमाया जाकर उक्त भूमियों के राजस्व रिकोर्ड से प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का नाम हजफ फरमाया जावे एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 8 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

इस पर वादीगण के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गयइं वादीगण की ओर से प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 की तामील रजिस्टर्ड डाक से करवाने के निवेदन पर प्रतिवादीगण की तामील रजिस्टर्ड डाक से करवाई गई । प्रतिवादीगण की रजिस्टर्ड डाक से तामील करवाये जाने के बावजुद प्रतिवादीगण के उपस्थित नही आने पर प्रकरण के तथ्यो व परिस्थितियों के मध्यनजर प्रतिवादीगण की तामील जरिये समाचार पत्र के माध्यम से करवाये जाने के आदेश जारी किये गये । इस पर जरिये तहरीर आदेश कमांक 283 दिनांक 17.02.2023 के द्वारा प्रतिवादीगण की तामील दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किये जाने के तहरीर आदेश जारी किये गये। वादीगण द्वारा दैनिक समाचार पत्र मे प्रकाशित आम सूचना पेश की । जिसको शामिल पत्रावली किया गया । प्रतिवादीगण के रजिस्टर्ड डाक व समाचर पत्र के माध्यम से तामील करवाये जाने के बावजुद प्रकरण में उपस्थित नही आने पर प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादीगण ने साक्ष्य वादी में गवाहान पीडब्लु 1 स्वयं नाथू सिंह, पीडब्लु 2 कमल कंवर , पीडब्लु 3 बलवीर सिंह, पीडब्लु 4 रामसिंह के मुख्य परीक्षण के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये । शपथ [illegible] शामिल पत्रावली किये गये। वकील वादीगण ने फर्द दस्तावेज सूची के साथ [illegible] वादपत्र के समर्थन मे दस्तावेज प्रदर्श 1 लगायत 5 प्रदर्शित करवाये । वकील वादीगण ने प्रकरण में बहस

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.04.04 14:31:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील वादीगण की बहस एकपक्षीय सुनी गई ।

हमने वकील वादिया की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादिया की बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड प्रदर्श 1 अंतिम चौसला जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम दर्ज राजस्व रिकोर्ड है। प्रदर्श 2 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार उक्त भूमि खसरा नम्बर 2148 के पुराने खसरा नम्बर 2987 होना दर्शित होते है। जिसके संबंध में पेश प्रदर्शित गिरदावरी प्रदर्श 3 संवत् संवत् 2012 से 2015, प्रदर्श 4 संवत 2016 से 2019, प्रदर्श 5 संवत 2026 से 2028 के अनुसार उक्त गिरदवारियो में वादीगण के बुजुर्गान का नाम दर्ज है । प्रथम गिरदावरी में भी वादीगण का नाम दर्ज है । इस प्रकार वादीगण का उक्त वादग्रस्त भूमि पर वक्त बुजुर्गान से कब्जा काश्त होना पत्रावली में पेश राजस्व रिकोर्ड से दर्शित होता हैं। जिसके संबंध में गवाहान के बयानात पीडब्लु 1 ता 4 से भी वादीगण का कब्जा काश्त होना साबित होता है। इस प्रकार उक्त समस्त विवेचन , पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

---:: क्रियात्मक आदेश ::---

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत उदघोषणा व स्थयी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाना है तथा राजस्व ग्राम खिरोटी पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2148 रकबा 1.40है0 अवस्थित तन ग्राम दिवराला पटवार हल्का दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. भूमि का वादीगण को काबिज खातेदार काश्तकार उदघोषित किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.04.04 14:31:52 IST
Reason: SelfAttested

03/04/24

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

...है तथा उक्त भूमि के राजस्व रिकोर्ड से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 का नाम ...क किया जाता है । इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

05/02/24
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 05.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

05/02/24
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.04.04 14:51:52 IST
Reason: SelfAttested